International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 8.141
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol. 12 No.3 Jan-Feb 2025

बिहार की शिक्षा प्रणाली का समकालीन परिदृश्य

प्रभु यादव
शोधार्थी, विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग,
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, (बिहार)
Corresponding Author: प्रभु यादव
DOI- 10.5281/zenodo.15111741

सार:

बिहार की शिक्षा प्रणाली में हाल के दशकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला है। सरकारी नीतियों, योजनाओं और डिजिटल तकनीकों के बढ़ते उपयोग के बावजूद, कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। यह लेख बिहार के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करता है, साथ में शिक्षण पद्धति, बुनियादी ढांचे, शिक्षक प्रशिक्षण, एवं सरकारी हस्तक्षेपों की भूमिका की समीक्षा करता है। शिक्षा में सुधार हेतु लागू की गई योजनाएँ, जैसे 'मुख्यमंत्री निश्चय योजना' और 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना', साइकिल योजना, मिड-डे मील योजना विद्यार्थियों की शिक्षा तक पहुँच को सुलभ बनाने में सहायक रही हैं। हालाँकि, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्कूल ड्रॉपआउट दर, शिक्षकों की कमी और डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता जैसी समस्याएँ अभी भी बनी हुई हैं। इस अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए बहुआयामी सुधार की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) सरकार द्वारा भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से लागू की गई है। भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषणा की गई। भारत की नई शिक्षा नीति सन 1986 के बाद यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। बिहार में इस नीति का प्रभाव व्यापक रूप से देखा जा सकता है, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव भाव के सभी नागरिकों को बढ़ने और विकसित होने के लिए समान अवसर प्रदान करना है, जिसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल हैं। इस आलेख में बिहार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभाव, चुनौतियों और संभावित समाधानों का विश्लेषण किया गया है।

मूल शब्द - बिहार, शिक्षा प्रणाली, साक्षरता दर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता

परिचय

बिहार, भारतीय उपमहाद्वीप का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है, जो शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। बिहार की शिक्षा प्रणाली का इतिहास बहुत ही प्राचीन और समृद्ध है। प्राचीन मगध में नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र थे।

नालंदा विश्वविद्यालय, जो 5वीं से 12वीं सदी तक सक्रिय रहा था, विश्वभर में एक प्रमुख शिक्षा संस्थान के रूप में जाना जाता था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख शैक्षिक केंद्र था और यहां छात्र-शिक्षक संवाद की एक महत्वपूर्ण परंपरा विकसित हुई थी। आजादी के बाद, बिहार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रयास किए, लेकिन विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कमजोरियों के कारण शिक्षा का उत्थान नहीं हो सका। विशेषकर 1980 के दशक में, राज्य की शिक्षा प्रणाली की खराब हालत के कारण, यह क्षेत्र सामाजिक विकास में काफी पिछड़ गया। स्वतंत्रता के बाद से बिहार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई उतार-चढ़ाव देखे गए हैं। एक समय था जब यह राज्य शिक्षा में देश के अग्रणी राज्यों में से एक था, लेकिन समय के साथ यह कई समस्याओं से जूझता रहा। लेकिन वर्तमान समय में इसे राज्यों की श्रेणी में सबसे निचले पैदान पर देखा जाता है। अंग्रेजीकाल से ही बिहार गरीबी, अशिक्षा और रोजगार की कमी से जूझ रहा है।

अंग्रेजों ने यहां की अर्थव्यवस्था को निचोड़ लिया था, जिसके कारण यहां की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी थी। आजादी मिलने के उपरांत बिहार की बंजर अवस्था (सामाजिक, आर्थिक रूप में) को उपजाऊ बनाने के लिए सुयोग्य माली (नेता) का अभाव रहा। आजादी मिलने के बावजूद बिहार के लोग आजादी से दूर

रहे, कारण यहां की जनता पुराने जाति व्यवस्था, छुआछूत, नक्सलवाद, चोरी-डकैती और धार्मिक कट्टरता में उलझकर रह गई, जिसके कारण बिहार का विकास नहीं हो पाया। भारत से राजशाही तो गई, लेकिन राजतंत्र की मानसिकता नहीं गई। भारत लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद राजतंत्र की भांति लोग अपना-अपना जाति का वर्चस्व चाहते हैं। बिहार के लोग इसी जाति वर्चस्व में उलझकर राज्य का भंडाधार कर चुके हैं। लोग अपना-अपना जाति, धर्म का राजा चुन रखे हैं। लोग अभी भी शिक्ष, स्वास्थ्य, विकास और रोजगार पर नहीं जाती और धर्म के नाम पर अपना राजा (नेता) का चुनाव करते हैं। हालांकि बिहार की राजनीति में कई ईमानदार और कर्मठ नेता हुए, जिसमें कर्पूरी ठाकुर ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। समकालीन समय में बिहार की शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। हाल के वर्षों में बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ शुरुआत की है। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना और उसे व्यापक रूप से उपलब्ध कराना है।

भारत सरकार द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 (एसडीजी 4) में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक ''सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन-पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने'' का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठन करने की आवश्यकता होगी, ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त कर सकें। भारत सरकार द्वारा 2020 में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करना है। यह नीति सभी राज्यों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत करती है, लेकिन इसकी सफलता राज्यों द्वारा किए गए कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। बिहार, जो भारत का एक प्रमुख राज्य है, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में कई प्रयास कर रहा है। अगर बिहार में शिक्षा की स्थिति देखें तो ब्रिटिश युग के उत्तरार्ध में बिहार में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था का पुनरुत्थान किया गया, परंतु आजादी के बाद राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गति को बरकरार नहीं रख सकी। परिणामस्वरूप, 1951 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की साक्षरता दर (13.49%) जो देश की साक्षरता दर (18.33%) से लगभग 5% से अंक कम थी। सन 1991 तक आते-आते यह 14.72 प्रतिशत अंक कम हो गई (1991 में भारत की साक्षरता दर 52.21% थी जबकि बिहार की साक्षरता दर 37.49% तक ही पहुंच पायी) 2001 में यह अंतर बढ़कर 17.31% अंक हो गया। 2008 के बाद से ही राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा तथा साक्षरता दर में सुधार के लिए सर्वशिक्षा अभियान, अक्षर आंचल योजना जैसे कई कार्यक्रम चलाए गए, जिसके परिणामस्वरूप बिहार के साक्षरता दर में धीरे-धीरे वृद्धि हुई और साक्षरता दर 2011 में बढ़कर 63.82 प्रतिशत हो गई। जिसमें पुरुषों की भागीदारी 71.20% तथा महिलाओं की भागीदारी 51.5% है। बिहार में बढ़ती जनसंख्या तथा शिक्षा के आवश्यक बुनियादी ढांचे में कमी को दूर करने के लिए बिहार सरकार द्वारा, नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।

पोशाक योजना

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की सबसे चर्चित पोशाक योजना है। इसके तहत हाई स्कूल की कक्षा नौ से 12 तक की छात्राओं को 1500 रुपये दिए जाते हैं। कक्षा एक और दो के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीपीएल के छात्र और सभी छात्राओं को 600 रुपये, वहीं एपीएल के सभी छात्रों को 400 रुपये की राशि भुगतान होती है। कक्षा तीन से पांच तक के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बीपीएल के सभी छात्रों को 600 रुपये, सभी छात्राओं को 700 रुपये और एपीएल के सभी छात्रों को 500 रुपये की दर से, कक्षा छह से आठ तक के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बीपीएल के सभी छात्रों को 700 रुपये, सभी छात्राओं को 1000 रुपये और एपीएल छात्रों को 700 रुपये की दर से पोशाक राशि दी जाती है। इस योजना की खास बात है कि लाभ 75 उपस्थिति दर्ज कराने वाले बच्चों को ही दी जाती है। इस योजना से ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी। माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित होने लगे। बच्चों को एक नई पोशाक मिलना बहुत खुशी और उत्साह की बात होती है। इस योजना से बच्चे भी प्रभावित होकर नियमित रूप से स्कूल जाने लगे। पोशाक मिलने से आर्थिक असमानता के कारण समाज में होने वाले भेदभाव में कमी आई। नीतीश कुमार की पोशाक योजना ने बिहार में स्कूली शिक्षा को एक नई दिशा दी है। इसने आर्थिक असमानता को कम करने और छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसके क्रियान्वयन और धनराशि के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2006 में शुरू की गई मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना ने बिहार की बेटियों में शिक्षा के प्रति रुचि एवं व्यक्तित्व विकास के लिए आत्मविश्वास बढ़ाया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य

स्कूली छात्र/छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और स्कूल छोड़ने की दर (dropout rate) को कम करना था। मुख्यमंत्री साइकिल योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं में पढ़ रहे सभी बालक और बालिकाओं को 75% उपस्थिति के आधार पर 3000 रुपये की दर से विभाग द्वारा डीबीटी के माध्यम से राशि स्वयं लाभुकों के बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाती है। छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उच्च विद्यालयों में कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले सभी छात्र और छात्राओं को 75% उपस्थिति के आधार पर विभाग द्वारा एक साल में प्रति लाभुक 1800 रुपये की दर से छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। वर्ग 01 से 04 के बच्चों को सालाना 600 रुपये दिए जाते हैं। कक्षा 05 से 06 के बच्चों को 1200 रुपये हर साल और कक्षा 07 से 08 के बच्चों को 1800 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। यह योजना उन्हें सशक्त बनाती है। साइकिल योजना ने मैट्रिक परीक्षा में छात्राओं की संख्या बढ़ाने में भी मदद की। इस योजना की शुरुआत से पहले बिहार में लड़कियों की शिक्षा की स्थिति बहुत बदहाल थी। कई लड़कियां स्कूल नहीं जाती थीं क्योंकि उनके घर और स्कूल के बीच लंबी दूरी होती थी। साइकिल योजना के बाद, लाखों छात्र/छात्राओं ने नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू किया। अब बिहार के गांव-गांव में लड़कियां बिना किसी परेशानी और भय के साइकिल चला कर स्कूल जाती हैं। इस योजना के पूर्व लड़कियां प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित रहती थीं, परन्तु योजना के पश्चात्य सुदूर इलाके की लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। नीतिश कुमार के इस पहल से महिला शिक्षा प्रतिशत में काफी इजाफा हुआ हैं। यह योजना शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकरी रहा है।

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अप्रैल 2018 में **मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना** की । शुरुआत बिहार सरकार द्वारा राज्य में रहने वाली लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत राज्य की लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। इस योजना के तहत, जन्म से लेकर स्नातक होने तक लड़कियों को किश्तों में 94,100 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना से बिहार राज्य की लगभग 1.60 करोड़ लड़कियों को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, इसमें लड़कियों के लिए सैनिटरी नैपकिन और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए भी धन उपलब्ध कराया जाता है। बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए जन्म से लेकर उच्च शिक्षा दिलाने तक निम्न प्रकार से बिहार सरकार द्वारा खर्च किया जाता रहा हैं।

बालिका की अवस्था	**राशि**
बालिका के जन्म के समय	2,000 ₹
जब बालिका एक वर्ष की हो जाती	1,000 ₹
सम्पूर्ण टीकाकरण दो वर्षों के भीतर पूरा हो जाता है	2,000 ₹
कक्षा 1 और कक्षा दो में प्रवेश पर (पोशाक के लिए)	600 ₹ प्रति वर्ष (दो वर्षों के लिए कुल राशि 1200 रूपये
कक्षा तीन से कक्षा पांच के बीच (पोशाक राशि)	700 रुपया प्रति वर्ष (तीन वर्षों के लिए 2100 रूपये)
कक्षा 6 से 8 के बीच (पोशाक राशि)	1000 ₹ प्रति वर्ष (तीन वर्षों के लिए 3000 रूपये)
कक्षा 7 से 12 तक सैनिरी पैड के लिए	300 रूपये प्रति वर्ष (छह वर्षों के लिए, 1800 रूपये)
स्नातक उत्तीर्ण होने पर	50,000 रूपये
कुल राशि	94,100 रुपया

उपरोक्त सभी योजनाओं के अतिरिक्त कई अन्य योजनाओं को भी चलाया जा रहा हैं, जैसे शिक्षा से जुड़ी योजनाओं में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मध्याहन भोजन योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, शैक्षणिक परिभ्रमण, और बिहार बाल भवन, मिड-डे मील तथा किलकारी योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के माध्यम से बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारा जा रहा है।

इन सभी योजनाओं के उपरान्त भी बिहार में शिक्षा की स्थिति में कोई परिवर्तनकारी सुधार नहीं देखा जा रहा है। नीतीश कुमार के सत्ता में आने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ, परन्तु जिस गति से होना चाहिए, उस गति से नहीं हुआ है। सर्वप्रथम हम प्राथमिक स्कूली शिक्षा देखें तो संख्या के तौर पर जो स्थिति 10 साल पहले थी, लगभग वही स्थिति आज भी है। पहले शिक्षकों की संख्या कम होने के बावजूद गुणात्मक शिक्षा हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में शिक्षकों की संख्या होने के बावजूद गुणात्मक शिक्षा का अभाव दिखता है। प्रश्न यह है कि पहले लोगों में शिक्षा के प्रति रुचि और जागरूकता की कमी थी, परन्तु वर्तमान

समय में लोगों में शिक्षा के प्रति रुचि और जागरूकता दोनों बढ़ी हैं, किन्तु प्राथमिक विद्यालयों में दाखिले में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है। आश्चर्य इस बात की है कि सरकार प्राथमिक स्कूलों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन परिणाम सकारात्मक नहीं आ रहा है। इससे साबित होता है कि सरकार की नीति निर्माण में कमी है। स्कूलों में वृद्धि के लिए लालू प्रसाद यादव के सरकार में बच्चों को राशन दिया जाता था। नीतीश कुमार के सरकार में उस योजना को बंद कर मिड-डे मील योजना लाई गई, पोशाक एवं छात्रवृत्ति योजना लाई गई, जिससे बच्चों की संख्या में वृद्धि हो, परन्तु प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की कमी देखी जा रही है। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की कमी के अनेकों कारण हैं। सर्वप्रथम, लोगों में शिक्षा के प्रति महत्व बढ़ा है, लेकिन लोग अपने बच्चों को गुणात्मक शिक्षा दिलाना चाहते हैं। वर्तमान समय में जिस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति थोड़ा भी अच्छी है, जो व्यक्ति महीने का दस या पंद्रह हजार से ऊपर मेहनत, मजदूरी कर कमा लेता है, वह सब व्यक्ति अपने बच्चों को सार्वजनिक विद्यालय में नहीं, निजी विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं। इसके कारण यह है कि निजी विद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा, तकनीकी, वैश्विक शिक्षा एवं अनुशासन बच्चों को दिया जाता है। सरकारी विद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा, अनुशासन तथा तकनीकी शिक्षा की कमी दिखती है। इन्हीं वजहों से लोग अपने बच्चों को निजी विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं।

बिहार में शिक्षा के ASER का रिपोर्ट हाल ही (2024) में जारी 'ASER' (Annual Status of Education Report) यानी 'अस्थायी वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट' से बिहार में शिक्षा के गुणात्मक सुधार को देखा जा सकता है। रिपोर्ट में बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलावों और प्रवृत्तियों को उजागर किया गया है। इस रिपोर्ट में स्कूलों में नामांकन, शैक्षणिक परिणाम, बच्चों में डिजिटल साक्षरता और स्कूल की सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं। आंगनवाड़ी और सरकारी स्कूलों में नामांकन की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 5 साल के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी के दाखिले में 2.5% की वृद्धि हुई है। 2022 में यह संख्या 45.8% थी, जबकि 2024 में बढ़कर 48.3% हो गई। हालांकि, सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में 5 साल और उससे नीचे के बच्चों के नामांकन में कमी आई है।

टेबल 1 : 3-8 आयुवर्ग के उन बच्चों का % जो विभिन्न प्रकार के पूर्व प्राथमिक विद्यालयों और विद्यालयों में नामांकित हैं – 2022

आयु	पूर्व प्राथमिक विद्यालय			विद्यालय			पूर्व प्राथमिक विद्यालय या विद्यालय में नहीं	कुल
	आंगनवाड़ी	सरकारी पूर्व प्राथमिक	निजी LKG/UKG	सरकारी	निजी	अन्य		
आयु 3	66.9	0.2	5.1	4.1	0.6	0.2	23.0	100
आयु 4	67.1	0.3	11.2	6.7	1.3	0.5	12.9	100
आयु 5	45.8	0.6	15.5	25.5	4.9	0.7	7.0	100
आयु 6	15.7	0.3	15.5	56.2	7.4	0.8	4.1	100
आयु 7	4.0	0.3	13.1	67.0	12.8	0.8	1.9	100
आयु 8	1.0	0.1	6.8	75.0	14.7	0.6	1.8	100

Sorce – ASER

टेबल 2 : 3-8 आयुवर्ग के उन बच्चों के % जो विभिन्न प्रकार के पूर्व प्राथमिक विद्यालयों और विद्यालयों में नामांकित हैं – 2024

आयु	पूर्व प्राथमिक विद्यालय			विद्यालय			पूर्वप्राथमिक विद्यालय या विद्यालय मेंनहीं	कुल
	आंगनवाड़ी	सरकारी पूर्व प्राथमिक	निजी LKG/UKG	सरकारी	निजी	अन्य		
आयु 3	68.9	0.4	4.8	2.2	0.4	0.1	23.1	100
आयु 4	66.9	0.4	11.7	4.8	1.2	0.4	14.6	100
आयु 5	48.3	0.4	18.4	19.1	4.2	0.8	8.8	100
आयु 6	19.0	0.6	19.3	44.9	8.8	1.5	6.0	100
आयु 7	5.2	0.4	14.3	63.8	11.4	1.4	3.5	100
आयु 8	1.5	0.3	7.4	70.8	16.5	1.3	2.2	100

Sorce – ASER

सरकारी स्कूलों में नामांकन का प्रतिशत (6 से 14 आयु वर्ग) 2022 में 82.2% से घटकर 2024 में 80.1% और निजी स्कूलों में यह संख्या 6.3% से घटकर 4.2% हो गया है। इसके बावजूद, जिन बच्चों का कहीं भी नामांकन नहीं था, उनकी संख्या 2018 में 10.8% से घटकर 2024 में 8.6% हो गई हैं। यह आंकड़ा बताती है कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार हेतु प्रयत्नशील है परन्तु जिस गति से सुधार होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा हैं।

इसी कड़ी में असर की कुछ और आंकड़े देखते है :-

- सरकारी विद्यालयों में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में अधिक है।
- बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में 80% बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, जो राष्ट्रीय औसत (66.8%) से अधिक है।
- 7 से 10 साल की आयु में लड़कों की 96% और लड़कियों की 96.6% सरकारी या निजी विद्यालयों में नामांकन हैं।
- 81.1% विद्यालयों में रसोई की सुविधा है, 92.9% विद्यालयों में मिड-डे मील प्रदान किया जा रहा है।
- 88.7% विद्यालयों में पीने का पानी और 82.5 विद्यालयों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है।
- 83.5% विद्यालयों में कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, लेकिन 86.1% किशोर व्हाट्सएप और इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं
- 14 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के 82.1% के पास स्मार्टफोन है।
- बिहार का इंटरनेट उपयोग आंकड़ा 80.9% है, जो राष्ट्रीय औसत 79.3% से अधिक है।
- 9,430 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है।

उपरोक्त आंकड़ा यह दर्शाता है कि बिहार में शिक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है। ग्रामीण इलाकों के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। लेकिन आंकड़ा यह भी बताता है कि लड़कों और लड़कियों में शिक्षा के प्रति जो समानता होना चाहिए, उसमें अभी कमी दिखती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पुत्र को एक अच्छी निजी विद्यालय में पढ़ाते हैं। वहीं पुत्री को सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं। सुखद बात यह है कि लोग अपने पुत्र-पुत्री को निजी या सरकारी विद्यालयों में पढ़ाते अवश्य हैं, जिसमें लड़कों का 96 प्रतिशत और लड़कियों का 96.6 प्रतिशत है, इसमें लड़कियां 0.6 प्रतिशत अधिक हैं। एक आंकड़ा यह भी है कि 14 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पास 82.1 प्रतिशत स्मार्टफोन उपलब्ध हैं। बिहार में इंटरनेट उपयोग का आंकड़ा 80.9% है, जो राष्ट्रीय औसत 79.3% से अधिक है। यह आंकड़ा सुखद भी है और चिंताजनक भी। सुखद इस बात को लेकर कि बच्चों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा तो है, लेकिन इसका उपयोग पढ़ाई या तकनीकी शिक्षा के रूप में करे तो बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों इंटरनेट का उपयोग अधिक से अधिक गेम, रील्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर करते हैं। चिन्ता की बात यह भी है कि गेम, सोशल मेडिया के कारण से बच्चों के साथ-साथ अभिभावक भी साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं। इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों पर सोशल मीडिया, इंटरनेट का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वर्तमान समय में यह बहुत बड़ी चुनौती है कि तकनीकी और सोशल मीडिया के समय में तकनीक का सही उपयोग बच्चों से कैसे करवाया जाए। इसके लिए सरकार को डिजिटल शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी बुराइयों को दूर करने की नीति बनाने की आवश्यकता है। कम आयु के बच्चों को प्रभावित करने वाले डिजिटल गेम या अन्य ऐप्स पर प्रतिबंधप लगाने की आवश्यकता है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर आई, इस नीति के साथ बिहार सरकार कार्य कर रही है।

भारत सरकार 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर आई, इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। यह नीति प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा तक के क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन लाने की दिशा में कार्यरत है। बिहार, जो देश के सबसे बड़े और शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है, इस नीति के प्रभाव को देखा जा रहा है। cccc

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार से है :-

- प्राथमिक शिक्षा में बदलाव
- 10+2 प्रणाली को 5+3+3+4 संरचना में बदला गया।
- प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा (ECCE) पर जोर।
- मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई को बढ़ावा दिया गया है।
- व्यावसायिक शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना।
- उच्च शिक्षा में सुधार
- मल्टी-डिसिप्लिनरी शिक्षण संस्थानों का निर्माण।
- 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) को 50% तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया

- स्नातक कार्यक्रमों में कई प्रवेश और निकास विकल्प।
- राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) की स्थापना।
- तकनीकी और डिजिटल शिक्षा
- ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा।
- ई-पाठ्यक्रमों और डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग जैसी नई तकनीकों का समावेश।
- शिक्षक प्रशिक्षण और सुधार
- शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण में सुधार।
- शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को और अधिक प्रभावी बनाना।

बिहार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन से शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा रहे हैं। इन प्रभावों को विभिन्न स्तरों पर समझा जा सकता है।

स्कूली शिक्षा पर प्रभाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, बिहार में प्राथमिक स्तर की शिक्षा में नई 5+3+3+4 संरचना अपनाई जा रही है। सरकार ने स्थानीय भाषा (हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं) में प्रारंभिक शिक्षा देने पर पहल की है, जिससे छात्रों को उनकी मूल भाषा में समझने में आसानी हो। बिहार में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाएँ लागू की जा रही हैं। शिक्षा विभाग द्वारा "e-लर्निंग" और "ऑनलाइन शिक्षा" प्लेटफॉर्म विकसित किए जा रहे हैं। हालाँकि, राज्य में इंटरनेट की उपलब्धता और स्मार्टफोन की पहुँच अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की सुविधा पूर्णरूप से उपलब्ध नहीं होने के कारण स्मार्ट क्लास में परेशानी हो सकती है। बिहार में व्यावसायिक शिक्षा को माध्यमिक स्तर पर लागू करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम विकसित किए जा रहे हैं। इससे छात्रों को पारंपरिक शिक्षा के अलावा व्यावसायिक कौशल सीखने का अवसर मिलेगा। व्यावसायिक शिक्षा रोजगार के अवसर के लिए कारगर होगा, निजी क्षेत्रों में रोजगार की संभ‍ावना अधिक होगी।

उच्च शिक्षा पर प्रभाव

राज्य सरकार ने राष्ट्ीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मल्टी-डिसिप्लिनरी संस्थानों की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इसके तहत विभिन्न कॉलेजों को एकीकृत किया जा रहा है, जिससे छात्रों को विभिन्न विषयों का अध्ययन करने की सुविधा मिलेगी। इससे छात्रों पर विषय का प्रतिबंध नहीं रहेगा, छात्र अपनी स्वेच्छा से कोई विषय पढ़ सकते हैं। इस नीति के तहत उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) को बढ़ाने का लक्ष्य है। बिहार सरकार ने सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में सीटों की संख्या में इज़ाफ़ा तथा छात्रवृत्ति योजनाओं में सुधार करने की दिशा में कार्य किया है। इसके अतिरिक्त, नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना, ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा में वृद्धि करना, तथा शोषित, वंचित वर्गों के छात्रों के लिए विशेष सहायता योजनाएं लागू करना भी इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुसंधान और नवाचार पर विशेष ध्यान देती है। बिहार में राज्य विश्वविद्यालयों और इंजीनियरिंग कॉलेजों में अनुसंधान सुविधाओं को विकसित करने के लिए विशेष फंडिंग की जा रही है। इससे उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान संस्कृति को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे छात्र और संकाय सदस्य नवीन खोज और प्रौद्योगिकी विकास में योगदान दे सकें। राज्य सरकार और केंद्रीय अनुदानों के माध्यम से कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण, इंजीनियरिंग, एवं सामाजिक विज्ञान से जुड़े अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य स्थानीय चुनौतियों का समाधान खोजना और राज्य के आर्थिक व सामाजिक विकास में योगदान देना है।

तकनीकी और डिजिटल शिक्षा पर प्रभाव

कोविड-19 महामारी के बाद ऑनलाइन शिक्षा के महत्व को देखते हुए बिहार सरकार ने ई-पाठ्यक्रमों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों को विकसित किया है। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। डिजिटल प्लेटफॉर्मों को विकसित करने की पहल सराहनीय है। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते और तेज़ इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके लिए सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट और मोबाइल नेटवर्क विस्तार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गरीब परिवारों को सब्सिडी या सस्ती दरों पर स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की समस्या बनी हुई है, वहाँ छात्रों को प्री-लोडेड सामग्री वाले टैबलेट या पेन ड्राइव में डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तकनीकी शिक्षा में बिहार के आईआईटी, एनआईटी, और अन्य तकनीकी संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा साइंस, और मशीन लर्निंग जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में जोड़ा जा रहा है। इससे छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में सहायता मिलेगी। शिक्षकों को डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि वे ऑनलाइन शिक्षा को सरल एवं प्रभावी बना सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक

केंद्रों में डिजिटल कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, जहाँ छात्र ऑनलाइन पाठ्यक्रमों तक आसानी से पहुँच बना सकें। अगर इन प्रमुख बिंदुओं पर काम किया जाए, तो बिहार में ऑनलाइन शिक्षा को और अधिक बेहतर, प्रभावी और समावेशी बनाया जा सकता है।

शिक्षकों और प्रशासन पर प्रभाव

बिहार में शिक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर बड़े पैमाने पर सुधार किए गए हैं। सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनिवार्य किया गया है। यह कदम शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। राज्य सरकार ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण को अनिवार्य किया है, जिससे शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण तकनीकों और आधुनिक पाठ्यक्रम पद्धतियों समझने की जानकारी मिल सके। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ई-लर्निंग, स्मार्ट क्लास प्लेटफॉर्म और डिजिटल टूल्स का समावेश किया गया है ताकि शिक्षक तकनीकी दक्षता हासिल कर सकें। परंपरागत पाठ्यक्रम की बजाय व्यावहारिक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए गतिविधि-आधारित शिक्षा को प्रशिक्षण का हिस्सा बनाया गया है। उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार प्रशिक्षकों को वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएँ प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, बिहार सरकार ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए NEP 2020 के तहत नए नियम लागू किए हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। इन सुधारों के तहत संभावित बदलाव किया जा सकता है; उदहारण स्वरूप, भर्ती प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष और डिजिटल माध्यम से संचालित और पारदर्शी किया जाएगा। शिक्षक भर्ती में शिक्षण कौशल, विषय विशेषज्ञता और प्रैक्टिकल ज्ञान को प्राथमिकता योग्यता आधारित दी जाएगी। परीक्षा संचालन और परिणाम प्रसार में डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि गड़बड़ियों की संभावना कम हो। ये सुधार न केवल शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएंगे, बल्कि बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार लाएंगे।

बिहार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियाँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कई सकारात्मक बदलाव देखे जा रहे हैं, लेकिन बिहार में इसके कार्यान्वयन के दौरान कुछ प्रमुख चुनौतियाँ भी सामने आ रही हैं:-

बजट और वित्तीय संसाधनों की कमी –

शिक्षा सुधारों को प्रभावी एवं सुव्यवस्थित ढंग से लागू करने के लिए राज्य को अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। सरकार को शिक्षा के लिए आवंटित बजट को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, ताकि आवश्यक संसाधनों की पूर्ति की जा सके।

इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी –

स्कूलों और कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसको दूर करने के लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करना होगा। कई सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पर्याप्त कक्षाएँ नहीं हैं, जिससे छात्रों को भीड़भाड़ वाली कक्षाओं में पढ़ना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा।

डिजिटल डिवाइड –

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल शिक्षा की उपलब्धता में बड़ा अंतर है। डिजिटल शिक्षा की पहुंच को समान बनाने के लिए सरकार को तकनीकी कंपनियों और समाज को मिलकर कार्य करना होगा। जब तक यह डिजिटल डिवाइड की खाई से नहीं निपटा जाता, तब तक ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को समान अवसर नहीं मिल पाएंगे।

शिक्षकों की गुणवत्ता –

योग्य शिक्षकों की कमी अभी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की रीढ़ होती है, और शिक्षकों की गुणवत्ता इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि, योग्य शिक्षकों की कमी आज भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इस समस्या के कई पहलू हैं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। योग्य शिक्षकों की कमी को दूर करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन सही नीतियों और प्रयासों से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। जब शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण, सम्मान और संसाधन मिलेंगे, तो शिक्षा की गुणवत्ता भी स्वतः ही बेहतर होगी।

सामाजिक और आर्थिक कारक –

बिहार में गरीबी और सामाजिक असमानता के कारण शिक्षा प्रणाली में सुधार की गति धीमी हो सकती है। बिहार की बड़ी आबादी आर्थिक रूप से कमजोर है, जिससे कई परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय काम पर लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उच्च बेरोजगारी दर के कारण कई युवा शिक्षा को समय की बर्बादी समझते हैं, क्योंकि उन्हें शिक्षा के बाद भी रोजगार की गारंटी नहीं मिलती।

निष्कर्ष:

बिहार की शिक्षा प्रणाली में कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, लेकिन यहां की शिक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। संसाधनों की कमी, शिक्षक की गुणवत्ता, और शिक्षा में लैंगिक असमानता जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए गंभीर प्रयासों की जरूरत है। अगर बिहार इन समस्याओं को हल करने में

सफल होता है, तो यह राज्य शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में से एक बन सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बिहार में शिक्षा प्रणाली को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति छात्रों को नई तकनीकों से लैस करने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने, और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद कर रही है। हालाँकि, इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, डिजिटल शिक्षा के विस्तार, और शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। यदि इन चुनौतियों को सुलझा लिया जाए, तो बिहार में शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव है।

संदर्भ सूची:

1. बासुकी नाथ चौधरी युवराज कुमारः वर्ष 2011भारतीय शासन और राजनीति, ओरयंट ब्लैकस्वान प्राइवेट ल मटेड नई दिल्ली, पेज 65
2. भारत की जनगणना (1951), सामान्य जनसंख्या, श्रृंखला -1, भाग-1-ए, खंड.2 गृह् मंत्रालय अफेयर्स, नई दिल्ली।
3. भारत की जनगणना (1961), जनगणना सार, बिहार की जनसंख्या।
4. भारत की जनगणना (2001). जनगणना सार, बिहार की जनसंख्या।
5. भारत की जनगणना (2011). जनगणना सार, बिहार की जनसंख्या।
6. सिंह दुर्गेश, क्रॉनिकल मासिक पत्रिका, मई 2020, पृष्ठ संख्या 80-81
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
8. Annual Status of Education Report 2024, Facilitated by PRATHAM.
9. शर्मा नवनीत (27 फरवरी 2025) आलेख, विफल विद्यार्थी बनाम शिक्षा व्यवस्था, जनसत्ता।